

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3361

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डिब्बाबंद खाद्य उत्पाद

†3361. श्री एम. के. राघवन:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों में प्रति पैकेट आकार के मानकीकरण के संबंध में एफएसएसआई अथवा किसी अन्य निकाय के अंतर्गत मौजूदा समय में कोई विनियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे विनियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का भ्रामक जानकारी से बचने के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के प्रत्येक पैकेट पर पोषण मूल्यों के संबंध में स्पष्ट लेबल लगाने का आदेश देने का विचार है;
- (घ) सरकार द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पैकेट/डिब्बा के आकार और उनके महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
- (ङ) क्या सरकार खाद्य लेबलों की व्याख्या विशेषकर पैकेट के आकार और दैनिक जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के उप-विनियम 5(3)(ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि लेबल पर उत्पाद के प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर या प्रति एक सेवन पैक से संबंधित जानकारी और व्यस्क व्यक्ति के लिए प्रति दिन 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा, 67 ग्राम कुल वसा, 22 ग्राम संतृप्त वसा, 2 ग्राम ट्रांस वसा, 50 ग्राम योजित शर्करा और 2000 मिलीग्राम सोडियम (5 ग्राम नमक) की आवश्यकता के आधार पर आकलित अनुशंसित आहारमान में प्रति परोसे प्रतिशत(%) योगदान संबंधी पोषण सूचना दी जाएगी।

“परोसा अथवा परोसा साइज” से अभिप्रेत है खाद्य की हर बार पारंपरिक रूप से खाई जाने वाली मात्रा अथवा जो लेबल पर परिभाषित हो और मीटरी इकाईयों में व्यक्त हो। इसके अतिरिक्त इसे खाद्य के अनुसार उपयुक्त आम घरेलू मापों, यथा चाय की चम्मच, खाना खाने की चम्मच, कप आदि के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को सभी लागू खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है। एफएसएसएआई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा विभागों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों व विनियमों के तहत स्थापित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाचयन करता है। जिन मामलों में खाद्य व्यवसाय संचालक उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उन एफबीओ के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ): एफएसएसएआई ने आम जनता को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- नागरिकों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और सूचित विकल्पों के लिए लेबल साक्षरता से सशक्त बनाने हेतु सोशल मीडिया जागरूकता अभियान, "हर लेबल कुछ कहता है" चलाया जा रहा है।
- आकर्षक सामग्री, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन, परोसा साइज), अवयव सूची, एलर्जेन चेतावनियाँ और दिनांक चिह्न जैसे प्रमुख तत्वों के बारे में शिक्षित करते हैं।
- लेबल जागरूकता गतिविधियाँ (डिस्प्ले बोर्ड, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से) विभिन्न प्रदर्शनियों (जैसे - आईआईटीएफ, आहार) और मेलों (जैसे - फूड फेस्टिवल, ईट राइट मेला आदि) में भी आयोजित की जाती हैं।

\*\*\*\*\*